

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./31/2025 जी0सी0एम0एस0 2025/59

1. उगमा पुत्र बालू जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. कल्याण पुत्र धूकल जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. कोमल पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. गोपाल पुत्र धुकल जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. चन्ता पुत्री श्रवण जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. पुखराज पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय जिला अजमेर
7. पेमा पुत्री श्रवण जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय जिला अजमेर
8. परमेशी पत्नि स्व0 उदाराम जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय जिला अजमेर
9. पोलू पुत्र बालू(अविवाहित फौत) जरिये वारिसान प्रार्थी संख्या 01 व 15
10. मांगीलाल पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय जिला अजमेर
11. मीरा पुत्री धूकल जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय जिला अजमेर
12. रसाल पुत्र धूकल जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय जिला अजमेर
13. सूरजकरण पुत्र धूकल जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय जिला अजमेर
14. सीता पुत्री धूकल जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय जिला अजमेर
15. हगामीलाल पुत्र बालू जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय जिला अजमेर
16. ऐजी पत्नि किशना(फौत) जरिये वारिसान प्रार्थी संख्या 18 व 19
17. परमेश्वरी पत्नि अमरचन्द जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय जिला अजमेर
18. ब्रह्मा पुत्र किशना जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय जिला अजमेर
19. रामलाल पुत्र किशना जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय जिला अजमेर
20. सीता पत्नि रतन जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय जिला अजमेर
21. कालू पुत्र दलीचन्द जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय जिला अजमेर
22. चांदी पत्नि दलीचन्द जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय जिला अजमेर
23. दशरथ पुत्र दलीचन्द जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय जिला अजमेर
24. निरमा पुत्री दलीचन्द जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय जिला अजमेर
25. शिवराज पुत्र दलीचन्द जाति जाट निवासी राताकोट तहसील भिनाय जिला अजमेर
26. श्रवणलाल पुत्र रामनाथ(फौत) जरिये वारिसान
- 26/1. श्रीमति सुगनी देवी पत्नि श्रवणलाल
- 26/2. प्रेमराज पुत्र श्रवणलाल
- 26/3. नरेन्द्र पुत्र श्रवणलाल
- 26/4. सुरेन्द्र पुत्र श्रवणलाल
- 26/5. धीरेन्द्र पुत्र श्रवणलाल
- 26/6. चन्द्रप्रकाश पुत्र श्रवणलाल



9
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

26/7. इन्द्रराज पुत्र श्रवणलाल सभी 26/1 लगायत 26/7 जाति जाट निवासीगण
राताकोट तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील-भिनाय
जिला-अजमेर।

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-22.04.2025

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री मोहम्मद युसुफ

2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा राताकोट पटवार क्षेत्र राताकोट
भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 19 में दर्ज खसरा नम्बर 1594 रकबा 0.11 हैक्ट,
खसरा नम्बर 1601 रकबा 0.25, खसरा नम्बर 1620 रकबा 0.05, खसरा नम्बर 1621
रकबा 0.40, खसरा नम्बर 1622 रकबा 0.03, खसरा सं0 1623 रकबा 0.07, खसरा नम्बर
1624 रकबा 0.21, और खसरा नम्बर 1627 रकबा 0.30 कुल किता 08 कुल रकबा 1.42
हैक्ट, खाता सं0 16 में दर्ज खसरा नम्बर 164 रकबा 1.92 हैक्ट, खसरा नम्बर 165
रकबा 0.58 और खसरा नम्बर 169 रकबा 1.50 कुल किता 03 कुल रकबा 4.00 हैक्ट,
खाता सं0 231 में दर्ज खसरा नम्बर 2178 रकबा 0.23 हैक्ट, कुल किता 01 कुल रकबा
0.23 हैक्ट, खाता सं0 230 में दर्ज खसरा नम्बर 201 रकबा 0.16 हैक्ट, खसरा नम्बर
2336 रकबा 0.16, खसरा नम्बर 2337 रकबा 0.54, और खसरा नम्बर 290 रकबा 0.25
कुल किता 04 कुल रकबा 1.11 हैक्ट, खाता सं0 233 में दर्ज खसरा नम्बर 2336/3516
रकबा 0.12 हैक्ट कुल किता 01 कुल रकबा 0.12 हैक्ट, खाता सं0 234 में दर्ज खसरा
नम्बर 286 रकबा 0.35 हैक्ट, खसरा नम्बर 287 रकबा 0.21 और खसरा नम्बर 294
रकबा 0.18 कुल किता 03 कुल रकबा 0.74 हैक्ट और खाता सं0 232 में दर्ज खसरा
नम्बर 2669 रकबा 0.51 हैक्ट, खसरा नम्बर 2970 रकबा 0.12, खसरा नम्बर 2971
रकबा 0.52, और खसरा नम्बर 2972 रकबा 0.50 कुल किता 04 कुल रकबा 1.65 हैक्ट
जो कि प्रार्थीगणों के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी
कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को
पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी
ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस वास्ते जवाब तलब किया
गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश करते हुए, प्रश्नगत आराजीयात को
प्रार्थीगणों की खातेदारी आराजीयात बताकर प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने की
टिप्पणी पत्रावली आदेशिका पर अंकित की। पैरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की



6/

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। पत्रावली में बहस पत्रावली सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम राताकोट के खाता संख्या 19, 16, 231, 230, 233, 234 एवं 232 संवत् 2073-2076(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थीगणों की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा राताकोट पटवार क्षेत्र राताकोट भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 19 में दर्ज खसरा नम्बर 1594 रकबा 0.11 हैक्ट, खसरा नम्बर 1601 रकबा 0.25, खसरा नम्बर 1620 रकबा 0.05, खसरा नम्बर 1621 रकबा 0.40, खसरा नम्बर 1622 रकबा 0.03, खसरा सं0 1623 रकबा 0.07, खसरा नम्बर 1624 रकबा 0.21, और खसरा नम्बर 1627 रकबा 0.30 कुल किता 08 कुल रकबा 1.42 हैक्ट, खाता सं0 16 में दर्ज खसरा नम्बर 164 रकबा 1.92 हैक्ट, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.58 और खसरा नम्बर 169 रकबा 1.50 कुल किता 03 कुल रकबा 4.00 हैक्ट, खाता सं0 231 में दर्ज खसरा नम्बर 2178 रकबा 0.23 हैक्ट, कुल किता 01 कुल रकबा 0.23 हैक्ट, खाता सं0 230 में दर्ज खसरा नम्बर 201 रकबा 0.16 हैक्ट, खसरा नम्बर 2336 रकबा 0.16, खसरा नम्बर 2337 रकबा 0.54, और खसरा नम्बर 290 रकबा 0.25 कुल किता 04 कुल रकबा 1.11 हैक्ट, खाता सं0 233 में दर्ज खसरा नम्बर 2336/3516 रकबा 0.12 हैक्ट कुल किता 01 कुल रकबा 0.12 हैक्ट, खाता सं0 234 में दर्ज खसरा नम्बर 286 रकबा 0.35 हैक्ट, खसरा नम्बर 287 रकबा 0.21 और खसरा नम्बर 294 रकबा 0.18 कुल किता 03 कुल रकबा 0.74 हैक्ट और खाता सं0 232 में दर्ज खसरा नम्बर 2669 रकबा 0.51 हैक्ट, खसरा नम्बर 2970 रकबा 0.12, खसरा नम्बर 2971 रकबा 0.52, और खसरा नम्बर 2972 रकबा 0.50 कुल किता 04 कुल रकबा 1.65 हैक्ट हेतू नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा को 500/- रु(पांच सौ रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ोसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
जिन्नाय, अजमेर
जिन्नाय (अजमेर)